न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 8/2019 दायरा दिनांक : 09.01.2019

उनवान

सतीश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र श्रीवातस्व, जाति कायस्थ, निवासी राजपुरा, वार्ड बांरा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती प्रेमदेवी श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय कैलाश चन्द, जाति कायस्थ, निवासी 33 मधुवन कालोनी, किसान मार्ग टोंक फाटक, जयपुर मृतक

2— हरिश चन्द पुत्र स्वर्गीय कैलाश चन्द, जाति कायस्थ, निवासी 33 मधुवन कालोनी, किसान मार्ग टोंक फाटक, जयपुर

3— देवेश चन्द्र पुत्र स्वर्गीय कैलाश चन्द, जाति कायस्थ, निवासी 33 मधुवन कालोनी, किसान मार्ग टोंक फाटक, जयपुर

4— मुकेश चन्द्र पुत्र स्वर्गीय कैलाश चन्द, जाति कायस्थ, निवासी 33 मधुवन कालोनी, किसान मार्ग टोंक फाटक, जयपुर

5— कीर्ति पुत्री स्वर्गीय कैलाश चन्द, जाति कायस्थ, निवासी 33 मधुवन कालोनी, किसान मार्ग टोंक फाटक, जयपुर

6— श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव पुत्री कैलाश चन्द पत्नी अरूण श्रीवास्तव, निवासी 255 गांधीनगर ललितपुर उत्तरप्रदेश

8— श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव पत्नी श्री गिरिश चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी बैंक कालोनी नामा मदार अजमेर

9— शशिप्रभा श्रीवास्तव पुत्री रामचन्द्र श्रीवास्तव निवासी मालपुरा, जिला टोंक मृतक

10— श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव तथाकथित पुत्री शशिप्रभा, जाति कायस्थ, निवासी मालपुरा, जिला टोंक

11— राजेश कुमारी श्रीवास्तव पत्नी आशाराम श्रीवास्तव, निवासी बरकाना, जिला पाली

12— सुश्री चन्द्रप्रभा श्रीवास्तव पुत्री श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, निवासी बारां

13— श्रीमती उषा श्रीवास्तव पुत्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, निवासी बारां पत्नी गोपाल किशन श्रीवास्तव निवासी विवेकानन्द पार्क के सामने बारां

14— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी एवं श्री वाई एस भटनागर

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 24/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया

गया है और ना ही न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से दिनांक 9.2.2017 को प्राप्त हुई जिस पर आगामी पेशी दिनांक 16.2.2017 नियत की गई जिसमें तहसील बारां से बंटवारा प्रस्ताव मंगाये जाने की तहरीर जारी करने का आदेश हुआ किन्तु 16.3.2017 को कोर्ट नहीं होने से जनरल तारीख दिनांक 31.3.2017 नियत की गई । दिनांक 31.3.2017 को भी जनरल तारीख किसी भी प्रकार की दी गई न आगामी कोई आदेशिका लिखी गई इसके बाद पुनः 10.5.2017 को पत्रावली निकाली गई जिस पर आगामी तारीख पेशी लोक अदालत हेतु दिनांक 29.06.2017 नियत की गई जिस पर अपीलांट लोक अदालत केम्प लिसाडिया में उपस्थित हुआ किन्तु रेस्पोडेंट अनुपस्थित होने के कारण कार्य कार्यवाही नहीं हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की स्वीकृति बिना अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अध्कीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.12.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपील के निर्णय उपरान्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकरण 2004 से लम्बित चल रहा है । राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.10.2016 द्वारा निर्णय उपजिला कलेक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारी की पुष्टि हो चुकी है । उपखण्ड अधिकारी को तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस पर एक पक्षकार की असहमति स्पष्ट रूप से अंकित है । असहमति की स्थिति में इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा अंतिम होता है । अतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, बहस विद्वान अधिवक्ताओं व विधिमान्य सिद्धांतों के मनन से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं है । किसी भी पक्षकार के अधिकारों का हनन भी सिद्ध नहीं होता है । अतः अपील अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा